न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 158 / 2015–16 अन्तर्गत धारा–219भू0रा0अधि0

सुनील कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री विज्ञान प्रकाश, निवासी जी–37 रेसकोर्स, देहरादून।

बनाम

1– पीयूष गुप्ता, 2. आयुष गुप्ता पुत्रगण स्व0 अखिल कुमार गुप्ता, 3. श्रीमती वन्दना गुप्ता पत्नी स्व0 अखिल कुमार गुप्ता, निवासीगण–21 कर्जन रोड, देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अरूण सक्सेना।

अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : श्री एम0एस0 पंवार, श्री संदीप कुमार , श्री प्रेमचन्द शर्मा एवं श्री दिनेश त्यागी।

निर्णय

यह निगरानी अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत निगरानी संख्या–05 / 2015–16 पीयूष गुप्ता बनाम सुनील कुमार गुप्ता आदि में पारित आदेश दिनांक 27–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

सर्वे नायब तहसीलदार, सेलाकुई ने खतौनी में अंकित भूमिधर अखिल कुमार गुप्ता की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर–321 / 3 क्षेत्रफल 1.20 एकड़ स्थित सैन्ट्रल होप टाऊन परगना पछवादून तहसील विकासनगर जनपद देहरादून के उसके उत्तराधिकारियों पीयूष गुप्ता, आयुष गुप्ता पुत्रगण अखिल कुमार एवं श्रीमती वन्दना गुप्ता पत्नी अखिल कुमार का नाम प्रपत्र–6 भाग–2 पर अंकित करने के आदेश दिनांक 05–02–2013 पारित किया जो दिनांक 23–02–2013 को संगत खतौनी में अंकित हुआ। आदेश दिनांक 05–02–2013 / 23–02–2013 के विरूद्ध निगरानीकर्ता ने तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो विद्वान तहसीलदार, विकासनगर ने यह कहते हुए अपने आदेश दिनांक 10–02–2014 से निरस्त कर दी कि सर्वे नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपील सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है एवं अपील सुनने का अधिकार उन्हें नही है। तहसीलदार, विकासनगर के आदेश दिनांक 10–02–2014 के विरूद्ध निगरानीकर्ता सुनील कुमार गुप्ता ने कलेक्टर, देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत की। विद्वान

कलेक्टर, देहरादून ने अपने आदेश दिनांक 18–11–2015 से अपील निस्तारित करते हुए आदेश पारित किया कि;

'' सर्वे नायब तहसीलदार/भूलेख निरीक्षक, सर्वे बन्दोबस्त सेलाकुई द्वारा प्रपत्र–6 भाग–2 क्रमांक–453 पर पारित आदेश दिनांक 31–01–2013/05–02–2013 निरस्त करते हुए वाद का श्रवणाधिकार तहसीलदार, विकासनगर न्यायालय होने के कारण पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष धारा–34 भू0रा0अधिनियम के तहत तहसीलदार, विकासनगर न्यायालय में वाद योजित करे''

उक्त आदेश दिनांक 18–11–2015 के विरूद्ध उत्तरदाता संख्या–1 से 3 ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी कैम्प, देहरादून के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। विद्वान अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 27–11–2015 से निगरानील सुनवाई हेतु ग्रहण करते हुए विद्वान कलेक्टर, देहरादून के आदेश दिनांक 18–11–2015 का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया, इसी आदेश दिनांक 27–11–2015 के विरूद्ध वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं अंवर न्यायालयों की पत्रावलियों का सम्यक अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित ग्राम सैन्ट्रल होप टाऊन अभिलेख क्रियाओं के अन्तर्गत है तदनुसार विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार नही है, कि प्रपत्र–6 भाग–2 में पारित आदेश भूलेख नियमावली के प्रपत्र–प क 11क के समान है जिसके विरूद्ध सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर धारा–54 भू0रा0अधि0 खतौनी पर्ची निर्गत न होने के आधार पर तहसीलदार के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया परन्तु तहसीलदार ने प्रकरण को अपील मानकर अग्राह्य कर दिया गया जिसके विरूद्ध कलेक्टर, देहरादून के समक्ष अपील योजित की गई जिसमें अंततः नामान्तरण की कार्यवाही तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष ही पोषणीय होने सम्बन्धी आदेश पारित किया गया परन्तु विद्वान कलेक्टर के आदेश दिनांक 18–11–2015 के विरूद्ध उत्तरदातागण द्वारा आयुक्त गढ़वाल मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जिसे न केवल ग्रहण किया गया अपितु बिना स्थगन प्रार्थना पत्र के विद्वान कलेक्टर के आदेश दिनांक 18–11–2015 का क्रियान्वयन भी स्थगित किया गया, कि विद्वान कलेक्टर जो कि अभिलेख अधिकारी भी है के आदेश के विरूद्ध निगरानी राजस्व परिषद में ही पोषणीय है अतः अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी को अपखण्डित किया जाए, कि सर्वे नायब तहसीलदार ने तथ्यों को छुपाकर ही अविवादित उत्तराधिकार अंकित किया है जबकि उन्हें प्रकरण विवादित होने के कारण सहायक अभिलेख अधिकारी को संदर्भित करना चाहिए था, कि निगरानीकर्ता के पक्ष में मृतक भूमिधर द्वारा वसीयत की गई है, कि अभिलेख क्रियाओं के अन्तर्गत धारा–54 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत खतौनी पर्ची वितरित न होने के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही लम्बित नही रखी जा सकती है तदनुसार विद्वान कलेक्टर का आदेश विधिसम्मत व उचित है।

दूसरी ओर उत्तरादातागण के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क है कि अविवादित उत्तराधिकार उचित रूप से अंकित हुआ है, कि कथित वसीयत कभी प्रस्तुत नही हुई क्योंकि वह अस्तित्व में ही नही है, कि कथित वसीयत के आधार पर कोई नामान्तरण प्रस्तुत नही किया गया विपरीत इसके सर्वे नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध तहसीलदार के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जबकि तहसीलदार को अपील सुनने का अधिकार ही नही है, कि निगरानीकर्ता द्वारा धारा–34 भू0रा0अधि0 की सूचना वसीयत सहित प्रस्तुत की जानी चाहिए थी जो नही किया गया, कि कलेक्टर, देहरादून का आदेश दिनांक 18–11–2015 अभिलेख अधिकारी के रूप में पारित नही किया गया है अतः विद्वान अपर आयुक्त को निगरानी सुनने का अधिकार प्राप्त है एवं कि वर्तमान निगरानी अग्राह्य व अपोषणीय है क्योंकि वह अर्न्तवर्ती आदेश के विरूद्ध निदेशित है जिसे प्रकरण में विलम्ब करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

यह स्वीकार्य तथ्य है कि कलेक्टर, देहरादून ही अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ अभिलेख अधिकारी है। उनका आदेश दिनांक 18–11–2015 स्पष्ट रूप से कलेक्टर के रूप में ही पारित हुआ है परन्तु उन्होंने सर्वे नायब तहसीलदार के द्वारा प्रपत्र–6 भाग–2 में अंकित आदेश को भी निरस्त किया है जो वे अभिलेख अधिकारी के रूप में ही कर सकते थे। उक्त स्थिति के दृष्टिगत अभिलेख अधिकारी के रूप में पारित उनके आदेश को इस न्यायालय में ही निगरानी के माध्यम से चुनौती दी जा सकती थी। जंहा तक अभिलेख क्रियाओं की अवधि में धारा–54 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत खतौनी पर्ची वितरित न होने की स्थिति में नामान्तरण की कार्यवाही का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को है अथवा सहायक अभिलेख अधिकारी को, का प्रश्न है इस बिन्दु का निस्तारण वे कलेक्टर अथवा अभिलेख अधिकारी के रूप में कर सकते थे एवं उनके द्वारा इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार स्पष्ट भी कर दिया गया है जो कि अभिलेख क्रियाओं की प्रगति के दृष्टिगत विधिसम्मत एवं न्यायसंगत है। विद्वान कलेक्टर का अपीलीय आदेश तद्नुसार अभिलेख अधिकारी के द्वारा पारित आदेश ही माना जायेगा क्योंकि तहसीलदार द्वारा धारा–34/35 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत पारित आदेश की अपील सामान्यतः परगनाधिकारी के समक्ष की जाती है। यद्यपि निर्णायादेश में उस क्षमता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिसके अधीन ऐसा निर्णयादेश पारित किया जा रहा हो परन्तु मात्र इस कमी के दृष्टिगत प्रकरण के सारतत्व (substance) की उपेक्षा नही की जा सकती है। तदनुसार अभिलेख अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी राजस्व परिषद में ग्राह्य एवं पोषणीय है। इसके अतिरिक्त यदि नामान्तरण की कार्यवाही अंततः तहसीलदार के समक्ष ही सम्पन्न होनी है तो इस दृष्टि से भी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी निष्फल (infructuous) हो जाती है।

यह स्थापित व्यवस्था है कि अभिलेख प्रक्रिया की अधिसूचना होने के उपरान्त सम्बन्धित गांव के राजस्व अभिलेख इस हेतु गठित सर्वे इकाई को स्थानान्तरित कर दिये जाते है परन्तु धारा–54 भू0राज0अधिनियम के अन्तर्गत खतौनी की पर्ची निर्गत होने से पूर्व नामान्तरण के समस्त प्रकरण तहसीलदार द्वारा ही निस्तारित किये जाते है। आलोच्य प्रकरण में भी यह स्वीकार्य तथ्य है कि धारा–54 के अन्तर्गत खतौनी पर्ची निर्गत नही हुई है। ऐसी

स्थिति में नामान्तरण सूचना सम्बन्धित तहसीलदार के समक्ष ही प्रस्तुत की जायेगी। तद्नुसार विद्वान कलेक्टर के आदेश दिनांक 18–11–2015 का वह अंश कि नामान्तरण की कार्यवाही तहसीलदार, विकासनगर द्वारा ही सम्पादित की जायेगी विधिसम्मत है।

आलोच्य प्रकरण में अविवादित उत्तराधिकार के आधार पर प्रपत्र–6 भाग–2 पर सम्बन्धित सर्वे नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 05–02–2013 को नामान्तरण आदेश पारित किया गया। सर्वे नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई जबकि ऐसी अपील तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नही हो सकती थी क्योंकि मात्र धारा–34 भू0रा0अधि0 की सूचना दिया जाना ही पर्याप्त था। विद्वान तहसीलदार भी कथित अपील का संज्ञान धारा–34 की सूचना के रूप में ले सकते थे परंन्तु उनके द्वारा अत्यन्त तकनीकी दृष्टिकोण अपनाकर उक्त कथित अपील को धारा–34 की सूचना न मानकर अस्वीकार किया गया। धारा–33क भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत अविवादित उत्तराधिकार के प्रकरण निस्तारित किये जाते है परन्तु धारा–34 के अन्तर्गत प्रस्तुत नामान्तरण की सूचना का संज्ञान लिये जाने के उपरान्त धारा–33क के अन्तर्गत अंकित अविवादित उत्तराधिकार सम्बन्धी प्रविष्टि का प्रभाव धारा–34 के अर्न्तगत पारित होने वाले नामान्तरण आदेश की अवधि तक आस्थगित रहता है एवं ऐसी प्रविष्टि उसके अध्यधीन होती है। आलोच्य प्रकरण में सर्वे नायब तहसीलदार का प्रपत्र–6 भाग–2 पर पारित अविवादित उत्तराधिकार आदेश की स्थिति भी उक्तवत ही रहती है अर्थात् वह नामान्तरण विवादित होने की स्थिति में तहसीलदार/सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित किये जाने वाले नामान्तरण आदेश के अध्यधीन (subject to) रहेगा।

वर्तमान प्रकरण में सर्वे नायब तहसीलदार ने अविवादित उत्तराधिकार अंकित किया है जिसे अपास्त सम्बन्धित सहायक अभिलेख अधिकारी अथवा अभिलेख अधिकारी कर सकते थे परन्तु जैसा कि पूर्व में विवेचित किया जा चुका है कि धारा–54 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत खतौनी की पर्ची अभी तक वितरित नही हुई है। धारा–34 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित द्वारा अन्ततः पारित नामान्तरण आदेश ही ऐसे अविवादित नामान्तरण आदेश पर प्रभावी होगा। परन्तु जब तक धारा–34/35 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत कोई आदेश नही पारित किया जाता है अविवादित उत्तराधिकार/नामान्तरण आदेश के आधार पर की गई प्रविष्टि खतौनी से पृथक नही हो सकती है। धारा–34/35 भू0रा0अधि0 की कार्यवाही धारा–33क भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत पारित आदेश की अपीलीय कार्यवाही नही है परन्तु धारा–33क के अन्तर्गत अंकित उत्तराधिकार/नामान्तरण धारा–34/35 के अन्तर्गत पारित होने वाले आदेश के अध्यधीन (subject to) रहता है क्योंकि जब तक धारा–34 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न होकर अंतिम आदेश नही पारित हो जाता है तब तक धारा–33क अथवा प्रपत्र–6 भाग–2 पर पारित अविवादित उत्तराधिकार को अपास्त करने की कोई विधिक व्यवस्था नही है एवं खतौनी में धारा–34/35 की कार्यवाही की प्रत्याशा में रिक्तता (vacuum) नही रह सकती है। अतः विद्वान कलेक्टर का आदेश दिनांक 18–11–2015 का वह अंश जिसके द्वारा उन्होंने सर्वे नायब तहसीलदार का

प्रपत्र–6 भाग–2 पर पारित उत्तराधिकार अपास्त किया है खण्डित होने योग्य है एवं उनका आदेश इस आशय से संशोधित होने योग्य है कि धारा–54 के अधीन खतौनी पर्ची वितरित न होने के दृष्टिगत धारा–34 के अर्न्तगत पक्षकारों द्वारा नामान्तरण सूचना सम्बन्धित तहसीलदार को प्रस्तुत होने की दशा में सर्वे नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 05–02–2013 ऐसे नामान्तरण कार्यवाही में पारित होने वाले ऐसे आदेश के अध्यधीन रहेगा।

आदेश

आलोच्य प्रकरण के उक्त विश्लेषण/विवेचन के दृटिगत निगंरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष लम्बित निगरानी की कार्यवाही अपखण्डित (quash) की जाती है एवं विद्वान कलेक्टर के आदेश दिनांक 18–11–2015 का वह अंश जिसके द्वारा सर्वे नायब तहसीलदार के प्रपत्र–6 भाग–2 क्रमांक–453 पर पारित आदेश दिनांक 31–01–2013/05–02–2013 को निरस्त किया गया है को अपास्त करते हुए उनके आदेश को इस आशय से संशोधित किया जाता है कि विद्वान तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष नामान्तरण सूचना अर्न्तगत धारा–34 भू0राज0अधि0 प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में सर्वे नायब तहसीलदार द्वारा प्रपत्र–6 भाग–2 पर पारित आदेश दिनांक 31–01–2013/05–02–2013 नामान्तरण कार्यवाही में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अध्यधीन रहेगा। निगरानीकर्तागण अपने अभिवचनों/कथनों के अनुरूप विद्वान तहसीलदार के समक्ष यथाशीघ्र भीतर नामान्तरण सूचना प्रस्तुत कर सकते है। उभयपक्ष विवादित भूमि के सम्बन्ध में इस आदेश की तिथि से एक माह तक यथास्थिति बनाये रखेंगे। अवर न्यायालय की पत्रावलियां वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **12–09–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।